

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

फर्द अहकाम

जोड कलकत्ता - 21/2/2024 को
 निर्देश पर पहुंचा है, कि वकील
 गौर सामन्त कीस प्रकृत प्रायः
 एव विरुद्ध सामन्त जो प्रायः
 एव में गौर सामन्त है, स्वीकार
 कि जाने योग्य है।

किन्तु प्रायः एव प्रायः
 जोडकर मार्ग निरुद्धा में गौर सामन्त
 हो विरुद्ध क्रायः जो कि - प्रायः
 केरुद्ध निरुद्धा में सामन्त है।
 स्वीकार किया जाता है। प्रायः
 एव केरुद्ध निरुद्धा का नरुद्ध
 एव। 22 R.T.M स्वीकार
 किया जाता है।

प्रायः एव केरुद्ध
 मार्ग जोडकर वादरुद्ध. एव
 से केरुद्ध कारुद्ध कलकत्ता
 है। निर्देश काय सुद्ध -
 - 21/2/2024 सुद्धा जाता।

(Signature)

हरिन्द सिंह
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड - नादौती
 (कलकत्ता)